इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458] भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2011—आश्विन 18, शक 1933

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. एफ.-14-82-1988-दस-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) (मध्यप्रदेश) नियम 1974 के नियम क्रमांक 34 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

(1) उपनियम (3) की सारणी—'एक' के कालम नं. 8 एवं 9 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रविष्टियां स्थापित की जाती हैं:—

			कालम 8	कालम 9
(क)	वाहन से वन्यजीव दर्शन	समस्त टाईगर रिजर्व	रु. 4000	रु. 8000
	(प्रति राउण्ड)	अन्य संरक्षित क्षेत्र	रु. 1600	रु. 3200
(ख)	वाहन से विशिष्ट स्थलों के दर्शन	पचमढ़ी व्यू प्वाइंट्स	रु. 1200	रु. 2400
		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	रु. 800	रु. 1600
		अन्य विशिष्ट स्थल (पांडव फॉल, रनेह फॉल एवं प्रबंधन द्वारा चिन्हित किये गये अन्य स्थल)	रु. 800	रु. 1600

(ग) कॉलम के शीर्षक में '32' के स्थान पर '20' स्थापित किया जाता है.

(2) उपनियम (3) की सारणी-'एक' में एवं कालम नं. 6 एवं 7 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रविष्टियां स्थापित की जाती हैं:—

		कालम 6	कालम 7
(क)	पचमढ़ी व्यू प्वाइंट्स	रु. 300	रु. 1500
(ख)	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	रु. 200	रु. 800
(ग)	अन्य विशिष्ट स्थल (पांडव फॉल, रनेह फॉल एवं प्रबंधन द्वारा चिन्हित किये गये अन्य स्थल)	रु. 200	रु. 1000

(3) उक्त उपनियम 'तीन' के नीचे दी गई टिप्पणी क्रमांक (दो) के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है:—

'मिनी बसें पूर्व निर्धारित सर्किट पर ही चलाने की अनुमति दी जावेगी.'.

(4) उपनियम 9 (ख) में रुपये 5000 के स्थान पर रुपये 6000, रुपये 15000 के स्थान पर रुपये 12000 तथा 'पांच घन्टे' के स्थान पर 'तीन घन्टे' स्थापित किया जाता है.

(5) उपनियम 10 'क' के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है.

फिल्मांकन/फोटोग्राफी की अनुमति क्षेत्र संचालक/वन संरक्षक द्वारा दी जायेगी. यदि किसी व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त समय में एवं सामान्य पर्यटन मार्ग से हटकर फिल्मांकन/फोटोग्राफी की अनुमति चाही जाती है तो ही यह दें लगातार लागू होगी. यह फिल्मांकन/फोटोग्राफी की शुल्क पूरे अवधि के लिये अग्रिम रूप से देय होगी. यह अनुमति एक पर्यटन वर्ष (1 जुलाई से 30 जून) तक प्रभावशील होगी. अनुमति की अवधि टुकड़ों में भी हो सकती है.

अवधि	भारतीय शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान	अन्य
प्रथम सात दिन तक	रु. 15000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति	रु. 30000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
आठवें दिन से पन्द्रहवें दिन तक	रु. 12500 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति	रु. 25000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
16 वें दिन से लगातार	रु. 10000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति	रु. 20000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति

(5) उपनियम (10) के भाग 'ख' को विलोपित किया जाता है.

यह संशोधन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे.

Bhopal the 10th October 2011

No. F. 14-82-1988-X-2.—In exercise of the powers conferred under Section 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby makes the following amendments in the Rule 34 of Wildlife (Protection) (Madhya Pradesh) Rules, 1974 namely:—

Amendment

(1) In sub-rule (3), the current entries in column no. 8 and 9 in Table I shall be substituted with the following:

			Column 8	Column 9
(a)	Viewing Wildlife in Vehicles (Per round)	All tiger Reserves	Rs. 4000	Rs. 8000
		Other Protected Areas	Rs. 1600	Rs. 3200
(b)	Visiting Specific Spots in Vehicles	Panchmarhi View Points (All)	Rs. 1200	Rs. 2400
		Van Vihar National Park		
		Other Specified Spots (Pandav Falls, Raneh Falls and any other spots earmarked by the management)	Rs. 800 Rs. 800	Rs. 1600 Rs. 1600

(c) In the title of the columns, '20' shall be substituted for '32.'.

(2) In sub-rule (3), current entries under column no. 6 and 7 in Table I shall be substituted with the following:

		Column 6	Column 7
(a)	Panchmarhi View Points	Rs. 300	Rs. 1500
(b)	Van Vihar National Park	Rs. 200	Rs. 800
(c)	Other Specified Points (Pandav Falls, Raneh Falls and any other spots earmarked by the management)	Rs. 200	Rs. 1000

(3) The note no. (2) under sub-rule (3) shall be substituted with the following:

'The minibuses shall be allowed to run only on predetermined routes.

(4) In sub-rule (9) (b) Rs. 6000 shall be substituted for Rs. 5000, Rs. 12000 for Rs. 15000 and 'three hours' for 'five hours'.

(5) Following shall be substituted for sub-rule (10) (a):

'Permission for filming/photography shall be given by the Field Director/Conservator of Forests. These rates shall be applicable only if permission is asked for filming/photography beyond the time and away from the routes for ordinary tourists. This fee shall be payable in advance for entire period of filming/photography. This permission shall be effective for one tourism year (1st July to 30th June). The period of permission can also be in broken periods.

Period	Indian Educational/Research Institutions	Others
First Seven days	Rs. 15000/- Per day, per person	Rs. 30000/- per day per person
8th to 15th day	Rs. 12500/- per day, per person	Rs. 25000/- per day, per person
16th day on wards.	Rs. 10000/- per day, per person	Rs. 20000/- per day, per person

(5) In sub-rule (10), clause (b) shall be omitted.

This amendment shall come into force with effect from the date of the publication of the notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डे, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.